



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नईदिल्ली – 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003

[आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 01-09-2023 को अपलोड किया जाए]
विज्ञप्ति
दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा-2023

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथियां	01.09.2023 से 30.09.2023
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	30.09.2023 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	30.09.2023 (2300 बजे)
'आवेदनपत्र में संशोधन हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	03-10-2023 से 04-10-2023
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	दिसंबर, 2023

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”

फा.सं. HQ-PPI03/15/2023-PP_1 - दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल (का.) की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यह पद बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1.1 इस परीक्षा का विज्ञापन दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।
- 1.2 अभ्यर्थियों से आवेदन केवल आनलाइन पद्धति के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही आयोजित की जाएगी।
- 1.4 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित की जाएगी और दिल्ली में आयोजित की जाएगी। शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा अर्हक प्रकृति की है।
- 1.5 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों से पात्रता प्रमाणपत्र / दस्तावेज लिए जाएंगे और मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनका सत्यापन किया जाएगा।
- 1.6 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) और परीक्षा की विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा की जाएगी।

- 1.7 परीक्षा की विज्ञप्ति, ऑनलाइन आवेदन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई / लोक शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।
- 1.8 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) में बैठने हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्ट करने और अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम तैयार करने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दिल्ली में दायर किए गए न्यायिक मामलों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। इन विषयों पर दायर अन्य क्षेत्रों के न्यायिक मामलों पर कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।
- 1.9 अन्य सभी मुद्दों, जैसे- परीक्षा की रूप-रेखा, रिक्तियां, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के आयोजन, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आदि से संबंधित न्यायिक मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

2. **वेतनमान:** वेतन स्तर-3 (21700-69100 रुपए)

3. **रिक्तियाँ :** रिक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	पद-नाम	रिक्तियों की संख्या					
		अना.	आकव	अपिव	अजा	अज जा	कुल
1	कांस्टेबल (का.)-पुरुष	2748	488	258	717	242	4453
2	कांस्टेबल (का.)- पुरुष (भूपूसै (अन्य) अजा. और अजजा- बैकलॉग सहित)	153	27	15	48	23	266
3	कांस्टेबल (का.)- पुरुष (भूपूसै (कमांडों (पैरा 3.1) अजा. और अजजा बैकलॉग सहित)	152	27	14	107	37	337
4	कांस्टेबल (का.)- महिला	1502	268	142	429	150	2491
	कुल रिक्तियां	4555	810	429	1301	452	7547

3.1 कांस्टेबल (का.) पुरुष की प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। भूपूसै के इस 10% कोटे में से आधा कोटा अर्थात ऐसे कोटे का 50 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं :

- 3.1.1 विशेष बल/एनएसजी (विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो; या
- 3.1.2 कमांडों कोर्स में क्यूआई 'अर्हता प्राप्त अनुदेशक' ग्रेडिंग प्राप्त की हो।
- 3.1.3 नौसेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने कमांडों प्रकार की यूनिट में कार्य किया हो।

टिप्पणी-1: भूपूसै के संबंध में आरक्षण विशेष अनुमति याचिका (सि.) सं. 1980/14-पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम पवन सिंह एवं अन्य और 1985/2014- पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम देवीराम एवं अन्य के परिणाम के अध्यक्षीन है।

टिप्पणी-2: केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3.2 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसरण में अभ्यर्थियों का चयन करेगा। रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति के क्रियान्वयन, आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के कार्यक्षेत्र के अधीन है।

4. राष्ट्रीयता / नागरिकता: अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5. आयु सीमा: 01.07.2023 को 18 से 25 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 02-07-1998 से पहले और 01-07-2005 के बाद न हुआ हो।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसर है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा / अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
20	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। (खेलों की सूची अनुबंध-VIII पर है)	05 वर्ष
21	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। (अजा/अजजा) (खेलों की सूची अनुबंध-VIII पर है)	10 वर्ष
22	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)	40 वर्ष तक
23	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)	43 वर्ष तक
24	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा)	45 वर्ष तक
25	सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत दिल्ली पुलिस के कार्मिकों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्र एवं पुत्रियां	29 वर्ष तक
26	भूतपूर्व सैनिक (अना / आकव)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
27	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3 वर्ष + 03 वर्ष)
28	भूतपूर्व सैनिक (अजा / अजजा)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष (03 वर्ष + 05 वर्ष)
29	विधवाएं/ तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (ऐसे दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी)।	05 वर्ष

- 5.2 आयोग द्वारा आयु को निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई उसी जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा जो उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5.3 अजा / अजजा / अपिव / पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों को दोहरी छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। वे या तो अपनी श्रेणी में छूट का लाभ उठा सकते हैं या दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्ड के रूप में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- 5.4 आयु, ऊंचाई / सीने और शैक्षिक योग्यता में छूट केवल उन दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों तक विस्तारित की जाएगी जिन्हें बर्खास्तगी / निष्कासन / समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।
- 5.5 'विभागीय अभ्यर्थी' से अभिप्राय है बैडमैन, बिगुलर, घुडसवार कांस्टेबल, डिस्पेच राइडर, ड्राइवर, डॉग हैंडलर, और दिल्ली पुलिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को दिल्ली पुलिस में तीन साल की सतत सेवा की हो और जो सभी शैक्षिक और अन्य शारीरिक योग्यताएं भी पूरी करता हो।
- 5.6 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से वेतन मिलता है वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कांस्टेबल के रूप में फिर से भर्ती होने के योग्य हैं, यदि उनके सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र पर पूर्व सेवा को अच्छा या उच्चतर वर्गीकरण / ग्रेडिंग के रूप में दिखाया गया है, बशर्ते कि:
- 5.6.1 उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर सशस्त्र सेवाओं से सेवानिवृत्ति दी गई है।
- 5.6.2 वे खुली भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हैं, और निर्धारित रूप से क्षमता / दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं।
- 5.6.3 वे भर्ती के निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हैं।
- 5.7 भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त शासी निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, उन्हें केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों में उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में यथा निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन्हीं रिक्तियों के संदर्भ में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और जब आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू होगा।
- 5.8 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- 5.9 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर "भूतपूर्व-सैनिक" की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सेवा की निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने से एक साल पहले पुनः रोजगार के लिए

आवेदन करने और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं करते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- 5.10 ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होगा, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी निवृत्ति की तारीख का स्पष्ट उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति की तारीख / निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने की तारीख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा प्राप्त करना होगा।
- 5.11 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे उन पदों के लिए नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा, जिनके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है और जहां तकनीकी व व्यावसायिक प्रकृति का अनुभव अनिवार्य नहीं है।
- 5.12 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट / आरक्षण अनुमत्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भू.पू.सै. नहीं लिखना चाहिए।
- 5.13 **स्पष्टीकरण:** भूपूसे से आशय उस व्यक्ति से है-

- 5.13.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ / हुई हो; या
 - जिसकी सेवा निवृत्ति पंजिका में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित हो; या
 - जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार पर या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किया गया है और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
 - जिसे अपने अनुरोध से अन्यथा कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
 - जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी शामिल हैं, नामतः

क. निरंतर सन्निहित सेवा के पेंशन धारक,
ख. सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग व्यक्ति; तथा
ग. वीरता पुरस्कार विजेता

5.13.2 तथापि प्रादेशिक सेना के कार्मिक दिनांक 15-11-1986 से भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे।

6. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- 6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं अथवा आयु में छूट चाहते हैं, जब दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाणपत्र मांगा जाए उन्हें विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके नाम पर केवल उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अजा / अजजा /

अपिव / आकव / अना. में विचार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारूप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।

- 6.2 अपिव श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायक तारीख को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तारीख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 6.3 जो अभ्यर्थी ऐसी जाति से संबंधित हैं जो कि अपिव की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अपिव अधिसूचित की गई है, वे अपने एकबारगी पंजीकरण में संशोधन करके अपनी श्रेणी को अपिव कर सकते हैं और तत्पश्चात परीक्षा के लिए अपिव अभ्यर्थी के रूप में विचार किए जाने हेतु अपना आवेदन भर सकते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अपिव हेतु आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।
- 6.4 आकव श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास निर्णायक तिथि या उससे पहले जारी **अनुबंध-VII** के अनुसार वैध आकव प्रमाण होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक तिथि / अंतिम तिथि के बाद जारी परन्तु उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वैध आकव प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।
- 6.5 अजा / अजजा श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण तिथि को पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति / सामुदायिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तारीख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

7. अनिवार्य अर्हताएं (दिनांक 30-09-2023 अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को)

- 7.1 किसी मान्यता प्राप्त बोर्डसे 10+2 (उच्चतर माध्यमिक)। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में निम्नलिखित को 11वीं पास होने की छूट दी गई है।
 - 7.1.1 सेवारत, सेवानिवृत्त और दिवंगत दिल्ली पुलिस कार्मिकों / दिल्ली पुलिस में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्र / पुत्रियां और
 - 7.1.2 केवल दिल्ली पुलिस के बैडमैन, बिगुलर, घुडसवार कांस्टेबल, डिस्पेच राइडर आदि।
- 7.2 पुरूष अभ्यर्थियों के पास शा.क्ष.प. और मा.प. की तारीख को एलएमवी (मोटरसाइकिल या कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शिक्षार्थी लाइसेंस स्वीकार्य नहीं है।
- 7.3 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे आवेदन न करें।
- 7.4 भारत के राजपत्र में प्रकशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तथापि, ऐसी

डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए जब अभ्यर्थी द्वारा वह हासिल की गई हो।

- 7.5 इसके अतिरिक्त भारत के राजपत्र में दिनांक 23.06.2017-को प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के भाग-III (8)(v) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं है। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इग्नू द्वारा प्रदान किया गया बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।
- 7.6 जो अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को **दिनांक 30.09.2023 (अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख)** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हासिल करने के प्रमाण के रूप में सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे - अंक तालिका, प्रोविजनल डिग्री आदि प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित तारीख तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तारीख तक परिणाम को तैयार किए जाने मात्र से शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता पूरी नहीं होती है।**
- 7.7 **एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन:** एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों के लिए प्रोत्साहन निम्नलिखित मानों में दिया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

टिप्पणी:

- दस्तावेज सत्यापन अर्थात (पीई और एमटी) के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह लाभ उपलब्ध नहीं है।

- 7.8 **अतिरिक्त अंकों का महत्व :** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा, जोकि निम्नलिखित स्तरों पर होगा:

डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4%
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
उत्तीर्ण श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

- (i) इसका लाभ दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही प्रदान किया जाएगा।
- (ii) इसकी निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

8. आवेदन का तरीका:

8.1 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक - II** का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा **अनुलग्नक-Iक** और **अनुलग्नक - IIक** के रूप में संलग्न हैं।

8.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सी) 2018 की संख्या 234 दिनांक 05.03.2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अभ्यर्थी की **फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे के होना चाहिए। फोटो में चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।**

8.3 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकार या रद्द कर दिया जाएगा। स्वीकार्य / अस्वीकार्य चित्रित करने वाले फोटोग्राफ के नमूने भी **अनुबंध- I।ख** में दिए गए हैं।

8.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **30.09.2023 (2300 बजे)** है।

8.5 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**

8.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.7 **ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।**

9. आवेदन शुल्क और भुगतान करने का तरीका:

- 9.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।
- 9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

- 9.4 अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन मोड के जरिए ही शुल्क का भुगतान दिनांक 30-09-2023 (2300 बजे) तक कर सकते हैं। किसी अन्य मोड से शुल्क भुगतान का कोई और विकल्प नहीं है।
- 9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के निरस्तीकरण पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 9.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से मुक्त नहीं रखा गया है, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति '**अपूर्ण**' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "**भुगतान की स्थिति**" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा** और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [03.10.2023 से 04.10.2023 (2300 बजे)]:

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

10.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11. परीक्षा केंद्र:

11.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कचआ क्षेत्र एवं क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), गया (3203), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), सीतापुर (3019)	मध्य क्षेत्र/ (म.क्षे)बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिवल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 (http://www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेरहामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धनकेनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) /अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005) मंगलुरु (9008), एर्नाकुलम (9213), कोझिकोड़ (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205), भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना(6014), सागर (6015), उज्जैन (6016)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर,

			छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट (5107), सिलचर(5111), इम्फाल(5501), शिलांग (5401), आइजाल (5701), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्ष.) / अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्ष.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 (www.sscnr.net.in)
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), भटिंडा (1401), जलंधर (1402), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्ष.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चि.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चिरला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुदुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्ष.) / आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाणा (7013), राजकोट(7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगाँव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्ष.) / दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net)

11.2 अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केन्द्र का चयन ध्यान से करें और अपने आवेदन में उसे ठीक से इंगित करें।

11.3 आयोग उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर, अपने विवेकानुसार किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को शामिल करने, अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार रखता है।

12. परीक्षा की रूपरेखा

12.1 परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण (पीई&एमटी) शामिल होंगे, इसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी।

12.2 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा यदि कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग द्वारा सूचना संख्या 1-1/2018-पी&पी-1 दिनांक 07-02-2019 में प्रकाशित फार्मूले का उपयोग करके अभ्यर्थियों द्वारा उसमें प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इन सामान्यीकृत अंकों के आधार पर अंतिम योग्यता सूची और कट-ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

12.3 विज्ञप्ति में इंगित परीक्षाओं की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षाओं की अनुसूची में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

12.4 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों के 100 प्रश्न** होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत अवधि/ समय
भाग- क	सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय	50	50	90 मिनट
भाग- ख	तर्कशक्ति	25	25	
भाग- ग	संख्यात्मक योग्यता	15	15	
भाग- घ	कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्प्यूनिक्शन, इंटरनेट, डब्लू डब्लू डब्लू और वेब ब्राउजर आदि	10	10	

12.5 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें।

12.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

12.7 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तरकुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो आयोग द्वारा दिए समय सीमा के भीतर, प्रति प्रश्न 100 रुपए, जो अप्रतिदेय है, का ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन

की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.8. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

12.8.1 **सामान्य ज्ञान / समसामयिक विषय** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

12.8.2 **तर्कशक्ति**: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्ना करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

12.8.3 **संख्यात्मक योग्यता** : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

12.8.4 **कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर आदि**: वर्ड प्रोसेसिंग (वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ लेखन, पाठ का प्रारूपण करना और इसे प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएं) संबंधी तत्व। एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल का संपादन, फंक्शन और फॉर्मूले, संचार (ई-मेल की मूल बातें, ईमेल भेजना और प्राप्त करना और इससे संबंधित कार्य)। इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग)।

12.9 प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा।

12.10 **शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा (पीई&एमटी)**: शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के मानक निम्नानुसार हैं:

12.11 **पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा** : भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3' 9 "
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	7 मिनट	13 फीट	3' 6 "

40 वर्ष से ऊपर	8 मिनट	12 फीट	3' 3 "

12.12 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

12.13 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

12.13.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

12.13.2. **ऊंचाई** : न्यूनतम 170 सेमी, इसमें छूट इस प्रकार है:

12.13.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी। (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी अर्थात डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुबंध - XI** के रूप में संलग्न है।

12.13.2.2 अजजा अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

12.13.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के मामले में 5 सेमी।

12.13.3 **सीना**: 4 सेमी विस्तार के साथ न्यूनतम 81 सेमी (अर्थात 81 - 85 सेमी), इसमें निम्नलिखित छूट दी गई है:

12.13.3.1 उपर्युक्त पैरा -12.13.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 5 सेमी।

12.13.3.2 अजजा अभ्यर्थियों के लिए 5 सेमी।

12.13.3. दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टॉफ के पुत्रों के मामले में 5 सेमी।

12.14 **महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा** : विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण के मानक निम्नानुसार होंगे:

आयु	दौड़ : 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	8 मिनट	10 फीट	3'
30 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक	9 मिनट	09 फीट	2' 9 "

40 साल से ऊपर	10 मिनट	08 फीट	2' 6 "
---------------	---------	--------	--------

12.15 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में भाग लेने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में किसी भी अवसर में से उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

12.16 :-"महिला अभ्यर्थी, जो पीई एंड एमटी के समय या तो गर्भवती हैं, या एक बच्चे को जन्म दिया है या गर्भपात हो गया है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हें प्रसूति समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा। प्रसव की अवधि निम्नानुसार होगी i) बच्चे के जन्म देने से छह महीने तक, ii) गर्भपात की तिथि से 45 दिनों तक। यदि उसे पीई एंड एमटी के दौरान अर्हक घोषित किया जाता है, उसका परिणाम मेरिट के अनुसार घोषित किया जाएगा। उन्हें आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाएगी।

12.17 महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप के मानक :

12.17.1 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के मानक इस प्रकार हैं:

12.17.2. **ऊंचाई**: न्यूनतम 157 सेमी, इसमें छूट इस प्रकार है:

12.17.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 2 सेमी। (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा के समय अपने निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र का प्रारूप **अनुबंध-XI** के रूप में संलग्न है।

12.17.2.2 अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए 2 सेमी।

12.17.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ की पुत्रियों के मामले में 5 सेमी।

12.18 उपर्युक्त ऊंचाई और सीने में छूट (यथा प्रयोज्य), केवल उन अभ्यर्थियों के लिए अनुज्ञेय होगी, जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में अपने श्रेणी के अंतर्गत छूट की मांग की है और शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं।

12.19 वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानक, अर्थात् ऊंचाई और सीने की माप में योग्य घोषित नहीं किया गया है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के नामित अपीलीय प्राधिकारी को उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा में अपील नहीं की जा सकती है।

12.20 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा करने का दायित्व एकमात्र दिल्ली पुलिस का ही है। आयोग शा.क्ष. और मा.प. और चिकित्सा परीक्षा के निर्णय के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन/अपील / आरटीआई / सीपीजीआरएमएस को स्वीकार नहीं करेगा।

13. चिकित्सा मानक :

13.1 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और दोष / विकृति / बीमारी से मुक्त होना चाहिए, दोनों आँखों की दृष्टि चश्मे के बिना 6/12, रंग दृष्टिहीनता से मुक्त और सुधार के लिए चश्मा न लगाया जाता हो या दृश्य तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए किसी भी तरह की सर्जरी नहीं कराई गई हो। उसमें ऐसी कोई विकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। इस संबंध में किसी भी श्रेणी को कोई छूट अनुज्ञेय नहीं है।

13.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार शरीर के विभिन्न भागों पर टैटू स्वीकार्य हैं :

13.3.1 सामग्री - धार्मिक चिह्न या आकृति और नाम को प्रदर्शित करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है, की अनुमति होगी।

13.3.2 स्थान - शरीर के पारंपरिक स्थानों बने टैटू, जैसे- भुजाओं के अग्रभाग पर भीतरी ओर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता है या हाथों के ऊर्ध्व भाग पर अनुमति होगी।

13.3.3 आकार - शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के आकार से ¼ से कम आकार का होना चाहिए।

14. परीक्षा में प्रवेश:

14.1 सभी अभ्यर्थी, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा। तदनंतर, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा।

14.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पदों के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। संवीक्षा करते समय यदि आवेदन में किया गया दावा सही नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग / दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम होगा।

14.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र आयोग के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय

कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय /उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

14.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, **मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है**, लाना अनिवार्य है, जैसे:

- 14.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,
- 14.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
- 14.7.3 डाइविंग लाइसेंस,
- 14.7.4 पैन कार्ड,
- 14.7.5 पासपोर्ट,
- 14.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र
- 14.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
- 14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
- 14.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। **यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

14.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

14.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

14.11 पीई ऍड एमटी में उपस्थित होने के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी वेबसाइट (अर्थात www.delhipolice.nic.in) पर अपलोड किए जाएंगे। पीईएडएमटी के आयोजन हेतु अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

15. दस्तावेज सत्यापन

- 15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जो शा.क्ष. और मा.प. (अर्थात दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) के सभी आयोजनों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें यथाउल्लिखित पैरा 15.3 के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

- 15.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान यथाउल्लिखित पैरा 14.7 में सूचीबद्ध अनुसार दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य लाना होगा ।
- 15.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:
- 15.3.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र।
- 15.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 15.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष शैक्षिक योग्यता को समकक्ष शैक्षिक योग्यता होने का दावा करता है तो शैक्षिक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/ पत्र जिसमें उस प्राधिकारी का अंकन (संख्या और दिनांक सहित) हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है।
- 15.3.4 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (मोटरसाइकिल या कार)।
- 15.3.5 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
- 15.3.6 यदि लागू हो तो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित प्रमाणपत्र (अनुबंध- XI)।
- 15.3.7 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै) के लिए:
- 15.3.7.1 अनुबंध- III के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी का प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- 15.3.7.2 अनुबंध- IV के अनुसार वचनपत्र ।
- 15.3.7.3 कार्यमुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया गया है।
- 15.3.8 प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट की मांग करता है।
- 15.3.9 दिल्ली पुलिस कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्डों को जारी किया गया वार्ड प्रमाण पत्र (अनुबंध- XII), यदि लागू हो ।
- 15.3.10 यदि लागू हो तो खेल प्रमाणपत्र (अनुबंध- IX या X)।
- 15.3.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के संबंध प्रमाण पत्र (अनुबंध- XIII), यदि लागू हो।
- 15.3.12 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 15.3.13 यदि लागू हो, एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी।
- 15.3.14 यदि लागू हो, आरआरयू प्रमाणपत्र ।
- 15.3.15 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 15.3.15.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.3.15.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित

प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

- 15.3.15.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 15.3.15.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.3.16 शा.द एवं मा.प./ दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

16. चयन का तरीका:

- 16.1 चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा (शा.द एवं मा.प.) और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।
- 16.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन सही पाया जाएगा उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का संचालन सिर्फ कंप्यूटर आधारित प्रणाली में करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश-पत्र कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- 16.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल **अंग्रेजी और हिंदी** में ली जाएगी।
- 16.4 नीचे उल्लेखित कट-ऑफ अंक (सामान्यकृत) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण अर्थात शा.द एवं मा.प में शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए अर्हक माना जाएगा।
- 16.4.1 अनारक्षित: 35
- 16.4.2 अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग:30
- 16.4.3 भूतपूर्व सैनिक :25
- 16.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार शा.द एवं मा.प. में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर शा.द एवं मा.प के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों के लगभग 12 गुणा होगी।
- 16.6 शा.द एवं मा.प. के लिए प्रवेश-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनके वेबसाइट (अर्थात www.delhipolice.nic.in) पर जारी किया जाएगा। शा.द एवं मा.प. सिर्फ दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
- 16.7 शा.द एवं मा.प. अनिवार्य लेकिन अर्हक प्रकार के हैं।
- 16.8 शा.द एवं मा.प. के सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा शा.द एवं मा.प के समय किया जाएगा।
- 16.9 शा.द एवं मा.प. और दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

- 16.10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, सभी वर्गों अर्थात अनारक्षित, अजा, अजजा, आर्थिक रूप से कमजोर एवं भूतपूर्व सैनिक में अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग बनाई जाएगी।
- 16.11 अजा, अजजा, अपिव और ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनके स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आपिव, एवं ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- 16.12 अजा, अजजा, अपिव, ई.डब्ल्यू.एस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जो उनकी योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना आयु सीमा, लंबाई एवं छाती की माप, अनुभव या योग्यता, अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने से ज्यादा होती है, जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अजा, अजजा, अपिव, ई.डब्ल्यू.एस और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गिनती किया जाना है, में शामिल किया जाएगा। जहां तक भूपू.सै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपू.सै के आयु से सैनिक सेवा कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट माना जाता है।
- 16.13 अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों का दिल्ली में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय समय पर संशोधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 नियम-9, 14(सी) और नियम-24 (परिशिष्ट) के अनुसार उनके चिकित्सा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न अस्पतालों के लिए अनुक्रमांक वार नामित करके चिकित्सा जांच किया जाएगा। चिकित्सा जांच में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अर्हक माना जाएगा।
- 16.14 एक 15% अभ्यर्थियों का 'आरक्षित पैनल' भी बनाया जाएगा और दिल्ली पुलिस को बंद लिफाफे में दिया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'आरक्षित पैनल' को दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/4/2022 के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।
- 16.15 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। यदि सत्यापन के समय, या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.द एवं मा.प एवं चिकित्सा जाँच से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति पत्र जारी होने/ कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 16.16 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 16.17 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- 16.18 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे उसके बाद दिल्ली पुलिस से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
- 16.19 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/4/2022 के प्रावधानों को देखते हुए कानून के तहत विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामलों को, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों के समाप्त होने तक लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों पर समाप्त होने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

17. बराबरी के मामलों का निपटारा:

- 17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक एक समान होने पर, उन मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-
- 17.1.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क के अंकों को देखकर।
- 17.1.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख के अंकों को देखकर।
- 17.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
- 17.1.4 नामों के वर्णानुक्रम को देखकर।

18. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

- 18.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटे लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना के परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष

3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ एप/ लैन/ वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

18.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. आयोग का निर्णय अंतिम:

19.1 पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

20.1 इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

21. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट की गई है, किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा शा.द. एवं मा.प. के समय किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। शा.द एवं मा.प के समय जब दस्तावेजों के संवीक्षा करने के दौरान यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
4	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। शा.द एवं मा.प के दौरान मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग/दिल्ली पुलिस को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
6	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
7	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
8	ऑनलाइन आवेदनपत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पास पोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने

	अनुबंध-11ख पर दिए गए हैं।
9	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए दो दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार / परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनःजमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-10 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
10	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
11	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग/ दिल्ली पुलिस अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
12	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। यदि जन्मतिथि के समर्थन में लाए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण-पत्र और प्रवेश-पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में अंतर होता है तो, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
14	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
15	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
16	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक(भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

17	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।
18	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।
19	शा.द एवं मा.प के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
20	शारीरिक माप परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।
21	पूछताछ कक्ष किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस भर्ती कक्ष सहायता डेस्क, भर्ती कक्ष, न्यू पुलिस लाइन, किंगसवे कैम्प, दिल्ली-110009 पर और निम्न दूरभाष नंबरों पर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 09.30 से शाम 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं:- 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206

अनुबंध-1

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन- पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज़ तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस

- v.स्कूल / कॉलेज आई डी
- vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
- ङ. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

- क. प्रारंभिक विवरण
- ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
- ग. घोषणापत्र ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या / पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2 घ में करें।
- घ. क्रम संख्या- 3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या- 4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
 - i.शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii.रोल नंबर
 - iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि

कोई भी जानकारी जो दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल तथा ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। यदि आप किसी विशेष बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और "Final Submit" से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. "घोषणा" को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो "I Agree" पर क्लिक करें।

- म. 'Final Submit' क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर विभिन्न ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक ओटीपी को डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के पश्चात यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 'प्रारंभिक विवरण' को बदला जा सकता है। **तथापि, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।**
7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-1 क (1/4)

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID * Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *
Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *
1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध-1 क (2/4)

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability (PwBD)? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#)

[Save](#)

[Next](#)

[Reset](#)

[Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

- (क) हाल का (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जेपीईजी/जेपीजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। शांतनु कुमार एवं अन्य के मामले [2018 की रिट याचिका (सि) सं. 234] में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.03.2020 के आदेश के अनुसरण में फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। **फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए। चेहरे का अग्र भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसका आवेदन/ अभ्यर्थिता अस्वीकृत अथवा रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत / अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-11ख में दिए गए हैं।**
- (ख) जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अपठनीय/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
- (ग) अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination-2023' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. -1 से 13 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो ऊपर बाएं कोने में दिए गए 'पंजीकरण संशोधन' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन करें।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो उस जाति से संबंध रखते हैं जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं है परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है, वे अपने एकबारगी पंजीकरण डाटा को संशोधित कर अपनी श्रेणी को अन्य पिछड़ा वर्ग में बदल सकते हैं।
6. क्रम सं.- 14 : यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें।
7. क्रम सं.- 15 : यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री हैं तो 'Yes' का चयन करें।
8. क्रम सं.- 16 : यदि आपने ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि से पिछले तीन वर्ष के दौरान खेल में अपने राज्य का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें।
9. क्रम सं.- 16.1 : अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें।
10. क्रम सं.- 17 : परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
11. क्रम सं.- 18 : यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है इसलिए वे 'No' का चयन करें।

12. क्रम सं.- 19 : यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में विशेष कोटे के लिए पात्र हैं तो 'Yes' का चयन करें (कृपया परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 3.1 देखें) ।
13. क्रम सं.- 20 : यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
14. क्रम सं.- 21 : यदि आप एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें और क्रम संख्या-21.1 पर एनसीसी प्रमाण-पत्र का विवरण प्रदान करें।
15. क्रम सं.- 22 : यदि आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र अथवा डिग्री है तो 'Yes' का चयन करें और प्राप्त कक्षा की जानकारी दें।
16. क्रम सं.- 23: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
17. क्रम सं.- 24: अर्हक शैक्षणिक योग्यता (अर्थात 12वीं, 11वीं या 10वीं कक्षा, जैसा लागू हो) का विवरण दें ।
18. क्रम सं.- 25 और 26: वर्तमान और स्थायी पते से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी ।
19. **अपना हाल ही का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुराना न हो) जैसा कि क्रम सं. -1(क) में निर्दिष्ट है। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध -1ख में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं।**
20. **उपर्युक्त क्रम सं.-1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
21. क्रम सं.- 27 : अपलोड किया गया फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अपलोड किया गया फोटो परीक्षा विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं है तो 'yes' क्लिक करें।
22. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
23. अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें। यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें। जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।
24. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
25. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।
26. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति '**आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)**' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन

पत्र' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट देना होगा ।

अनुबंध-II क (1/3)

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	01/07/2000
6. Age as on 01/07/2023:	23.0
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Nationality:	Citizen of India
10. Mark of Visible Identification:	IDENTIFICATION MARK
11. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Board of School Education Haryana
12. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	753753
13. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2012
14. Whether Departmental Candidate of Delhi Police:*	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No Please refer to the Notice of Examination, Para-5.5
15. Whether Son/ Daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
16. Have you represented a State at the National level or the Country at the international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online applications:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
16.1. If Yes, Please select the Discipline of your Sport: Please see Para-5.1 of the Notice	--Select Sport--
17. Preference of Examination Centre:*	CR-Agra(3001) <input type="checkbox"/> CR-Prayagraj(3003) <input type="checkbox"/> CR-Bareilly(3005) <input type="checkbox"/>
18. Whether Ex-Serviceman (ESM):*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
18.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
18.2. Date of Discharge from Armed Forces (DD/MM/YYYY):	
18.3. Length of Service in Armed Forces (In Years):	
18.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM): Please refer to the Notice of Examination, Para-5.7	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

अनुबंध-II क (2/3)

18.5. Date of Joining the Civil Post (DD/MM/YYYY):

19. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police : Yes No
Please refer to the Notice of Examination, Para-3.1

20. Whether seeking Age Relaxation: * Yes No

20.1. If Yes, indicate code:
Please see Para-5.1 of the Notice

21. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? : * Yes No

21.1. Type of Certificate: *
Confirm Type of NCC Certificate:

22. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by Rashtriya Raksha University (RRU)? : * Yes No

22.1. If Yes, class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *

23. Highest Qualification: *

24. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Board/ University	Roll No	Subjects	Year of Passing	Percentage	CGPA
Board of Secondary	34567	Math	2023	70	

25. Postal Address: Sample Present Address
State: Punjab
District: Gurdaspur
Pin Code: 143530

26. Permanent Address: Sample Permanent Address
State: Punjab
Pin Code: 143530
Mobile Number: 9222222222
Email: sample@gmail.com

Photograph and Signature

Upload a photograph without Spectacles/Cap taken on or after 01-June-2023 *
Allowed File Size: 20 KB to 50 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)
 Your Image.jpg



Upload Signature (Signature should not be blurred) *
Allowed File Size: 10 KB to 20 KB
Format: JPEG/ JPG
Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)
 Your Signature.jpg



27. Whether the photograph has been taken on or after 01-June-2023?: Yes No

Declaration

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the Terms & Conditions of the Notice of the Examination.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.
4. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose.*

*Verification will be subject to authorization from competent authority.

I Agree



Try Another

PFVJJ

Preview

Reset

Close

अनुबंध-11ख

फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने
बहुत नजदीक

अत्यधिक रंगीन



टोपी के साथ



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ



तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



अनुबंध-III

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की
विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

अनुबंध-IV

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक

..... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-V

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*, संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@27
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / केंद्र प्रशासित क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और /या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____
**पदनाम _____
(कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हों।
- क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VI

(अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____
ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत
सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____ दिनांक _____ * के अंतर्गत
पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः _____ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के
_____ जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम
3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:
मुहर:

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध - VII

**..... सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र**

प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____

वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर _____ जिला
_____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे
सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी / उनके
'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/ उसके परिवार के पास
निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी अभ्यर्थी के हाल ही का
पासपोर्ट अभ्यर्थी के हाल ही
का पासपोर्ट आकार
अनुप्रमाणित फो आकार

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/ पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

आयु-छूट के पात्र खेलों/ खेल के खिलाड़ी

1. तीरंदाजी
2. दंगल
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. टियाथलोन
21. वॉलीबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

अनुबंध-IX

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राज्य संघ में
-----के खेल में
(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर सहित

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री-----
-----, की जन्मतिथि----- निवासी-----
----- (पूर्ण पता) ----- राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
----- में दिनांक----- से ----- तक आयोजित -----
----- खेल/प्रतियोगिता में ----- राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----
दिनांक-----

हस्ताक्षर-----
नाम-----
पदनाम-----
राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----
पता-----
मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

अनुबंध-X

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ
(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर सहित

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ी-----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री-----
-----, की जन्मतिथि----- निवासी-----
----- (पूर्ण पता) ----- राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
----- में दिनांक----- से ----- तक आयोजित-----
----- खेल/प्रतियोगिता में ----- भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगी।

अनुबंध-XI

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी, श्री _____ गाँव _____, तहसील/ तालुका _____ जिला _____ राज्य _____ के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* वह गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंध रखता/ रखती है और अभ्यर्थी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

* वह उत्तर पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा और अभ्यर्थी गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का/की हैं जिसमें दार्जिलिंग जिला के तीन उप-खंड दार्जिलिंग, कलिमपोंग, और क्यूर्सोंग मिला हुआ है और इन जिलों के निम्नलिखित ""मौज़ा" उप-खंड शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ जंगल, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेङ्गा, (5) पानिघाता, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहरू, (8) सुकना जंगल, (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी जंगल-I, (11) महानदी जंगल, (12) चंपासरी जंगल, (13) सालबरी छट भाग-II, (14) सितोंग जंगल, (15) सिवोक पहाड़ी जंगल, (16) सिवोक जंगल, (17) छोटा चेंगा, (18) निपनिया।

* वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध- XII

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक या मल्टी-टास्किंग स्टाफ के अभिभावकता का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक/ एमटीएस का नाम) रैंक _____ रेंज/ कॉन्स्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. _____ जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ _____ से _____ हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित पुत्री _____ (नाम) दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम), रैंज/ कॉन्स्टेबूलरी/ बेल्ट संख्या _____ और पीआईएस संख्या _____ दिल्ली पुलिस में दिनांक _____ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में _____ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) पुरुष/ महिला भर्ती कि परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक _____ को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपने/ अपनी सेवा के दौरान इन्हे.....बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति दी गई हैं। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी' का अर्थ है **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि (अर्थात 30-09-2023)** तक दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बगलर, मौंटेड कॉन्स्टेबल, डिस्पैच राईडर, ड्राईवर, डॉग-हैंडलर और मल्टी-टासकिंग स्टाफ के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा और अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक / 10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06

बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी.)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35
